राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

अत्यावश्यक सूचना

बिहार राज्य में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार के अन्तर्गत कार्यरत सभी नियमित/संविदागत् पदाधिकारी/कर्मचारी कृपया ध्यान दें !

आप अवगत है कि प्रथम चरण में मानव संसाधन सूचना प्रणाली (HRIS) के Web Portal पर स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार के अन्तर्गत स्थायी एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, पदस्थापन इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ अपलोड की गयी है एवं अपलोड की गई सूचनाओं के आधार पर मानव संसाधन से संबंधित कार्य योजना बनाने, स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं पदोन्नति में उपयोग किया जा रहा है।

मानव संसाधन से संबंधित सूचना तंत्र को और भी अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने के उदेश्य से द्वितीय चरण में मानव संसाधन सूचना प्रणाली (HRIS) में स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए Payroll एवं Transfer/Posting को कम्प्युटरीकृत करने की प्रक्रिया राज्य स्तर से शुरू की गई है एवं इस प्रणाली को अतिशीघ्र लागू करने का निर्णय लिया गया है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कार्यरत सभी संविदागत् एवं स्थायी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूचनाएँ मानव संसाधन सूचना प्रणाली (HRIS) के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही अपलोड की गई सूचनाएँ पूर्ण एवं अद्यतन नहीं है।

अतएव स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार के अन्तर्गत कार्यरत सभी नियमित/संविदागत् पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, प्रशिक्षण प्राप्ति, पदस्थापन इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ विहित प्रपत्र में अंकित कर साक्ष्य सहित नामित नोडल पदाधिकारी को दिनांक–10.02.2017 तक अनिवार्य रूप से हस्तगत करा दें। वैसे पदाधिकारी/कर्मी जिनका HR संबंधित सूचना पूर्व से ही HRIS Portal पर अपलोड कर दिया गया है, वे निम्न प्रक्रिया अनुसार हार्ड कॉपी निकाल कर उसमें अंकित विवरणी को सत्यापित कर साक्ष्य के साथ नामित नोडल पदाधिकारी को उक्त तिथि तक हस्तगत करा दें।

1. HRIS के वेब पोर्टल – www.healthhrisbihar.org को खोल कर User Id - **generalusers** एवं password – **hris** से Login करें ।
2. Login करने के बाद 'Search Record' Option को Click करें।
3. Quick Search में अपना Person Id डाल कर 'Go' Option को Click करें । इसके बाद आपका रिकॉड Open हो जायेगा ।
4. Hard Copy निकालने के लिए Control+P बटन को Press करें ।

नोट 1 – अगर आपके पास अपना HRIS जनित Person ID नहीं है, तो आप अपने रिकॉड को 'Search Records' -> 'Search People' Options को Click कर एवं अपनी जन्म तिथि, पदनाम इत्यादि से भी Search कर View एवं Print कर सकते है ।

नामित नोडल पदाधिकारी इस प्रकार है –

1. जिला में कार्यरत कर्मियों के लिए – सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
2. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, IGIMS, IGIC, SIHFW, ANM/GNM School एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों के लिए – क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार
3. स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य निदेशालय, देशी चिकित्सा निदेशालय, Nursing Council, PHI, High Court एवं अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों के लिए – संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

नोट 2 – विहित HRIS प्रपत्र एवं संबंधित दिशा–निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org के "Guideline and Health Employees Data Collection Form" लिंक पर उपलब्ध हैं।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य